अपील सूचना अधिकार संख्या 95/2020 (GCMS 2020/00165) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (48F-310130) <u>बनाम</u> अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>26.07.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर कार्यालय (सतर्कता), श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा ग्यारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने, 25000/– शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना प्रार्थी को दिलवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

1. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 08.09.2019 आपके कार्यालय में पंहुचने की तारीख व आरआर व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. प्रार्थी के पत्रांक पर दिनांक 20.04.2020 पर की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्रांक प्रार्थी पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी व कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. दिनांक 11.04.2020 के संबध में सूचना कि श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई उपपंजीयक के पद पर नियुक्त नही थी।
5. श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई का स्थान पर कि श्रीमती गंगादेवी के स्थान पर सुमित्रा देवी सहवन शब्द अंकित किया है। सहवन शब्द की मान्यता जिस अधिनियम या दस्तावेज दिनांक 11.04.2020 में संपादन के दिन लिखा गया है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6. श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई तत्कालीन उपपंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 696 दिनांक 26.06.2018 में सहवन शब्द लिखा जाने के अधिनियम, नियम व आधार की सूचना व प्रमाणित प्रति।

7. उपपंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर के पत्रांक दिनांक 30.10.2018 व 17.01.2019 में यह कथन कि सहवन शब्द श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा लिपिकीय भूल से लिखा गया है, इस बाबत सूचना व सूचना की प्रमाणित प्रति।

8. सहवन शब्द का प्रयोग/अंकन पंजीययन अधिनियम व राजस्थान पंजीयन अधिनियम की 1995 की (धारा)नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

9. लिपिकीय भूल शब्द का अंकन पंजीयन अधिनियम व स्टाम्प नियम 1955 की धारा में जहां अंकित किया है उसकी सूचना व प्रतिलिपि।

10. श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई का यह कथन कि वह 11.04.2000 को उपपंजीयक पद पर उपस्थित नही थी। उसके द्वारा दिनांक 26.08.2016 को जिस आधार पर अंकन करना कि श्रीमती गंगादेवी के स्थान पर मोनिका देवी का नाम सहवन से लिखा गया है जिस दिनांक 11.04.2000 को वसीयत निरस्तीकरण निष्पादित हुई थी।

11. पंजीयन अधिनियम के अनुसार पंजीयन के बाद पंजीयन निष्पादन का प्रमाण पत्र धारा 60 में जारी किया जाता है। दिनांक 11.04.2000 को [illegible] वसीयती निरस्तीकरण दस्तावेज में प्रमाण पत्र जारी [illegible] जाने की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 17 दिनांक 02.07.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

क्र.सं.	चाही गई सूचना	जवाब
1.	प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 08.09.2019 आपके कार्यालय में पंहुचने की तारीख व आरआर व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।
2.	प्रार्थी के पत्रांक पर दिनांक 20.04.2020 पर की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।
3.	पत्रांक प्रार्थी पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी व कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।
4.	दिनांक 11.04.2020 के संबध में सूचना कि श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई उपपंजीयक के पद पर नियुक्त नही थी।	सूचना उपलब्ध नही है।
5.	श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई का यह कथन कि श्रीमती गंगादेवी के स्थान पर सुमित्रा देवी सहवन के शब्द अंकित किया है। सहवन शब्द की मान्यता जिस अधिनियम या दस्तावेज दिनांक 11.04.2020 में संपादन के दिन लिखा गया है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।
6.	श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई तत्कालीन उपपंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 696 दिनांक 26.06.2018 में सहवन शब्द लिखा जाने के अधिनियम, नियम व आधार की सूचना व प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।
7.	उपपंजीयक कार्यालय श्रीगंगानगर के पत्रांक दिनांक 30.10.2018 व 17.01.2019 में यह कथन कि सहवन शब्द श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा लिपिकीय भूल से लिखा गया है, इस बाबत सूचना व सूचना की प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है।
8.	सहवन शब्द का प्रयोग/अंकन पंजीयन अधिनियम व राजस्थान पंजीयन नियम की 1995 की (धारा)नियम की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	सूचना उपलब्ध नही है।
9.	लिपिकीय भूल शब्द का अंकन पंजीयन अधिनियम व स्टाम्प नियम 1955 की धारा में जहां अंकित किया है उसकी सूचना व प्रतिलिपि।	सूचना उपलब्ध नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

10.	श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई का यह कथन कि वह 11.04.2000 को उपपंजीयक पद पर उपस्थित नही थी। उसके द्वारा दिनांक 26.08.2016 को जिस आधार पर अंकन करना कि श्रीमती गंगादेवी के स्थान पर मोनिका देवी का नाम सहवन से लिखा गया है जिस दिनांक 11.04.2000 को वसीयत निरस्तीकरण निष्पादित हुई थी।	सूचना उपलब्ध नही है।
11.	पंजीयन अधिनियम के अनुसार पंजीयन के बाद पंजीयन निष्पादन का प्रमाण पत्र धारा 60 में जारी किया जाता है। दिनांक 11.04.2000 को निष्पादित वसीयती निरस्तीकरण दस्तावेज में प्रमाण पत्र जारी किये जाने की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	कार्यालय उपपंजीयक, श्रीगंगानगर से संबन्धित है।

-sd-
अति. जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का बिन्दुवार उत्तर दिया जा चुका है, जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 1 से 10 उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और बिन्दु संख्या 11 का सम्बन्ध उपपंजीयक, श्रीगंगानगर से है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को [illegible] गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी [illegible] को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है। लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 02.07.2020 उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने के लिए लिखा हुआ है इसलिए अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 11 के सम्बन्ध उनके समक्ष चाराजोही करनी चाहिए।** जहां तक बिन्दु संख्या 1 से 10 की सूचना का सम्बन्ध है उसका बिन्दुवार उत्तर अपीलार्थी को दिनांक 02.07.2020 को दिया जा चुका है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(सतर्कता), श्रीगंगानगर एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:39 IST
Reason: SelfAttested